



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-16
केन्द्रीय ग्रंथालय (Central Library)



शोध-प्रबन्ध का समानता जाँच हेतु आवेदन (Application for Plagiarism Check of Thesis)

01	शोधार्थी का नाम/Name of Research Scholar	
02	विभाग का नाम/Name of Department	
03	वर्तमान पता एवं मोबाइल नं. /Present Address and Mob. No.	
04	शोधार्थी का ई-मेल/E-Mail of Researcher	
05	नामांकन संख्या/Enrolment Number	
06	आधार संख्या/Aadhar No.	
07	एबीसी आईडी नं./ABC ID No.	
08	पंजीकरण की तिथि/Date of Registration	
09	पुनः पंजीकरण तिथि/Re-Registration Date	
10	शोध विषय/Research Subject	
11	शोध शीर्षक/Research Title 1. संस्कृत 2. हिन्दी 3. English	
12	मार्गनिर्देशक का नाम/Name of Guide	
13	मार्गनिर्देशक का ई-मेल/E-Mail of Guide	
14	शोध कार्य का समय/Duration of the Research	
15	शोधप्रबन्ध की पृष्ठ संख्या (भूमिका से उपसंहार तक) /Number of Pages in thesis (Introduction to Conclusion)	
16	आवेदन की तिथि/Date of Application	

मैं सत्य निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता /करती हूँ कि साहित्यिक समानता जाँच हेतु केन्द्रीय ग्रंथालय में प्रस्तुत शोधप्रबन्ध का ही प्रिंट / सॉफ्ट कॉपी समानता जाँच के पश्चात् विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन / संशोधन पाये जाने की स्थिति में मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

(शोधार्थी का हस्ताक्षर)

Signature of Research Scholar

(मार्गनिर्देशक का हस्ताक्षर)

Signature of Guide

पुस्तकालय उपयोग हेतु

Plagiarism report % (.....) (समानता जाँच % :).....

(साहित्यिक चोरी जाँचकर्ता के हस्ताक्षर)

Signature of Plagiarism Checker

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ पुस्तकालय प्रभारी

समानता/ साहित्यिक चोरी संबंधित जाँच प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 जो अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी से संबंधित है, के अनुपालन के लिए पुस्तकालय में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन करना आवश्यक होगा:-

01. पुस्तकालय में प्राप्त शोध प्रबन्ध की जाँच इन्फ्लिबनेट केन्द्र द्वारा प्रदान किये गये सॉफ्टवेयर द्वारा की जायेगी।
02. संबंधित शोध छात्र को अपना शोध प्रबन्ध यूनिकोड आधारित फोन्ट (Unicode compliant font) में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। पूरे शोध प्रबन्ध की दो सिंगल फाईल (word file or PDF File) में जो पेनड्राइव/सी.डी. में होनी चाहिए उसे पुस्तकालय में जाँच हेतु जमा करना होगा।
03. साहित्यिक चोरी के लिए समानता जाँच में निम्नलिखित वर्जित होंगे (वि.वि.अ.आ.विनियमन-2018)-

- सभी अनिवार्य अनुमतियों और / अथवा गुणधर्म के साथ उद्धृत कार्य।
- सभी संदर्भ पुस्तक सूची, विषय सूची की तालिका, आमुख तथा साभार।
- सभी सामान्य शब्दावली, विधि, मानक, चिह्न तथा मानक समीकरण।

नोट:- छात्रों, संकायों शोधकर्ताओं तथा कर्मचारिवृंदों द्वारा किया गया शोधकार्य, मूल विचार पर आधारित होगा। जिसमें केवल संक्षेपण, सारांश, अवधारणा, टिप्पणियाँ, परिणाम, निष्कर्ष तथा सिफारिशें शामिल होंगी तथा इसमें कोई समानताएँ नहीं होंगी। इसमें चौदह (14) क्रमगत शब्दों तक सामान्य ज्ञान अथवा अनुरूप शब्दावली विवर्जित होंगी।

04. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2018 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक समानता होने पर संबंधित मार्गनिर्देशक/ पर्यवेक्षक जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे तथा स्वीकृत छूट के अतिरिक्त यदि किसी अन्य समानता को हटाना चाहते हैं तो यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के दिशानिर्देश के अनुपालन में ऐसा कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें लिखित घोषणा करनी होगी।
05. शोध प्रबंध का केवल दो बार ही समानता/ साहित्यिक चोरी संबंधित जाँच की जायेगी।
06. समानता/साहित्यिक चोरी जाँच की सम्पूर्ण प्रक्रिया में 2 से 3 कार्य दिवस का समय लग सकता है। जाँच उपरान्त सॉफ्टवेयर से प्राप्त रिपोर्ट को शोध छात्र एवं मार्गनिर्देशक के E-mail ID पर भेज दी जायेगी, इसके लिए शोध छात्र को केन्द्रीय ग्रंथालय में सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु साहित्यिक चोरी जाँच प्रारूप में शोध छात्र एवं मार्गनिर्देशक का E-mail ID देना अनिवार्य है।
07. निम्नांकित प्रारूप का उपयोग संबंधित कार्य के लिए करना आवश्यक होगा जिसे शैक्षणिक अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है -
शोध-प्रबन्ध का समानता जाँच हेतु आवेदन प्रारूप एवं संशोधित शोध-प्रबन्ध का समानता जाँच प्रारूप।
08. साहित्यिक चोरी जाँच (Plagiarism) हेतु शोध प्रबंध का PDF/Word File केन्द्रीय ग्रंथालय के ई-मेल पर मान्य नहीं होगा।
09. शोध संबंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए शोध परिषद् (Research Council) से परामर्श तथा अन्य जानकारी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 का अवलोकन किया जा सकता है।